

**न्यायालय:-तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, बैतूल
(पीठासीन अधिकारी-यशवंत मालवीय)**

RCT NO. 2300120A/2016

व्यवहार वाद क्र०:-120ए/16

संस्थित दिनांक:-15.10.16

शिवदयाल पिता श्री आत्माराम यादव, उम्र 50 वर्ष,
निवासी-ग्राम-चिखली आमढाना, तह0-घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.)।

.....**आवेदक/वादी**

// बनाम //

- 1 अम्मीलाल पिता श्री स्व० फैलू, उम्र 72 वर्ष,
2. किशोर पिता श्री राधेलाल, उम्र 60 वर्ष,
3. रूपराम पिता श्री राधेलाल, उम्र 50 वर्ष,
तीनों निवासी-ग्राम-चिखली आमढाना, तह0-घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.)।
4. कमलाबाई पुत्री श्री राधेलाल पति नौखेलाल, उम्र 62 वर्ष,
निवासी-पांढरा, तह0-घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.)।
5. संतोबाई पुत्री श्री राधेलाल पति बसंत यादव, उम्र 60 वर्ष,
निवासी-ग्राम-सलैया, तह0-घोडाडोंगरी, जिला-बैतूल (म.प्र.)।
6. म०प्र० शासन द्वारा जिलाधीश बैतूल (म.प्र.)।

..... **अनावेदकगण/प्रतिवादीगण**

// आदेश //

(आज दिनांक 23.12.2017 को पारित)

1- इस आदेश द्वारा वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 आई०ए०नं०-14 का निराकरण किया जा रहा है।

2- आवेदन संक्षेप में है कि वादी द्वारा पूर्व में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र पेश गया था जो दिनांक 01.09.17 को को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन में वादी को अतिक्रामक बताया है और अतिक्रामक के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती जिसके विरुद्ध अपील किये जाने पर वर्तमान में द्वितीय अपर जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है। राजस्व निरीक्षक खसरे के इंद्राज के आधार पर सीमांकन रिपोर्ट लिखता है परंतु दावा पूर्वजों को बंटवारे में प्राप्त होने पर स्वामित्व की हैसियत से आधिपत्य चला आने से भूमि ख०नं० 44 रकबा 0.500 हे० पर स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी होने व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है परंतु निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त हो जाने से प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं होता है कि वह वादी को आधिपत्यविहीन करे।

प्रतिवादी ने दिनांक 22.12.17 को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि में दो व्यक्तियों के साथ आकर फोटो खिचवाई जिसका विरोध करने पर गालियां व धमकियां दी तथा कहा कि वह जमीन बेच रहे हैं और प्रतिवादी उसके पुत्र और अन्य दो-तीन व्यक्ति जो भूमि क्रेता हो सकते हैं वह बैतूल भूमि विक्रय करने हेतु गये तथा यदि भूमि विक्रय कर दी जाती है तो वाद बहुल्यता व जटिलता उत्पन्न होगी इसलिये वादीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह भूमि ख०न०-44 रकबा 0.500 हे० की भूमि संलग्न नजरीय नक्शा अनुसार विक्रय या अन्तरण ना करे।

3— प्रतिवादीगण/अनावेदकगण द्वारा आवेदन का लिखित जवाब देते हुये आवेदन पत्र के समस्त अभिवचनों से इंकार करते हुये प्रकट किया है कि आवेदन असत्य आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित पैरा 1,2, एवं 3 पूर्व में प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.12.17 की ही अर्न्तवस्तु है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई फोटो नहीं खिचवाई गयी है और ना ही वह बैतूल गये थे अपितु वादी ने 8-10 दिन पूर्व प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक झूठा आवेदन रानीपुर थाने में दिया था तब रानीपुर थाने से दिनांक 22.12.17 को उपस्थित होने की सूचना दी गयी थी तथा वह रानीपुर थाने में दोपहर 12 बज से शाम के 6 बजे तक दिनांक 22.12.17 को उपस्थित रहे परंतु वहां वादी ही थाने नहीं पहुंचा। आवेदन असत्य एवं बनावटी आधार पर पेश किया गया है क्योंकि बैतूल में अचल संपत्ति बिक्री ऑनलाईन सिस्टम है, जिसमें पहलु विक्रेता क्रेता स्लॉट रिजर्व करते हैं, जिसेक उपरांत रजिस्ट्रार पक्षकों को बुलाते हैं और उक्त प्रक्रिया को इंटरनेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है परंतु उस स्लॉट के संबंध में पता लिखाने के बारे में जानबुझकर कोई कथन वादी की ओर से नहीं किया गया है इसलिये आवेदन निरस्त किया जावे।

4— प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिंदुओं की विरचना की जा रही है :-

1. क्या प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी/आवेदक के पक्ष में हैं?
2. क्या सुविधा का संतुलन वादी/आवेदक के पक्ष में है ?
3. क्या अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी/आवेदक के पक्ष में हैं?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 1 से 3 के निराकरण के संबंध में:-

5— सुविधा की दृष्टि तथा समान तथ्यों पर आधारित होने से साक्ष्य के दोहराव को रोकने के उपरोक्त विचारणीय बिंदुओं का निराकरण मेरे द्वारा एक

साथ किया जा रहा है। वादी की ओर से प्रकट किया गया है कि पूर्व में उसके द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र पेश गया था जो दिनांक 01.09.17 को को इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन प्रतिवेदन में उसको अतिक्रामक बताया है और अतिक्रामक के विरुद्ध निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती जिसके विरुद्ध अपील किये जाने पर वर्तमान में द्वितीय अपर जिला न्यायालय के समक्ष लंबित है जबकि राजस्व निरीक्षक खसरे के इंड्राज के आधार पर सीमांकन रिपोर्ट लिखता है परंतु दावा पूर्वजों को बंटवारे में प्राप्त होने पर स्वामित्व की हैसियत से आधिपत्य चला आने से भूमि ख०न० 44 रकबा 0.500 हे० पर स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी होने व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत पेश किया गया है परंतु निषेधाज्ञा आवेदन निरस्त हो जाने से प्रतिवादी को यह अधिकार नहीं होता है कि वह वादी को आधिपत्य विहीन करे।

6— वादी द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि दिनांक 22.12.17 को प्रतिवादी ने वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि में दो व्यक्तियों के साथ आकर फोटो खिचवाई जिसका विरोध करने पर गालियां व धमकियां दी तथा कहा कि वह जमीन बेच रहे हैं और प्रतिवादी उसके पुत्र और अन्य दो-तीन व्यक्ति जो भूमि केता हो सकते हैं वह बैतूल गये तथा यदि भूमि विक्रय कर दी जाती है तो वाद बहुल्यता होगी एवं प्रकरण में जटिलता उत्पन्न होगी इसलिये इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह भूमि ख०न०-44 रकबा 0.500 हे० की भूमि संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विक्रय या अन्तरण ना करे।

7— प्रतिवादीगण द्वारा प्रकट किया गया है कि आवेदन असत्य आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वर्णित पैरा 1,2, एवं 3 पूर्व में प्रस्तुत जवाब दिनांक 18.12.17 की ही अर्न्तवस्तु है, जिनके द्वारा कोई फोटो नहीं खिचवाई गयी है और ना ही वह बैतूल गये थे अपितु वादी ने 8-10 दिन पूर्व उनके विरुद्ध एक झूठा आवेदन रानीपुर थाने में दिया था, जिससे रानीपुर थाने से दिनांक 22.12.17 को उपस्थित होने की सूचना दी गयी थी तो वह दिनांक 22.12.17 को रानीपुर थाने में दोपहर 12 बजे से शाम के 6 बजे तक उपस्थित रहे परंतु वहां वादी ही थाने नहीं पहुंचा।

8— प्रतिवादीगण द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि आवेदन असत्य एवं बनावटी आधार पर पेश किया गया है क्योंकि बैतूल में अचल संपत्ति बिक्री

ऑनलाईन सिस्टम है, जिसमें पहले विक्रेता-क्रेता स्लॉट रिजर्व करते हैं, जिसके उपरांत रजिस्ट्रार पक्षकारों को बुलाते हैं और उक्त प्रक्रिया को इंटरनेट के माध्यम से स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है परंतु उस स्लॉट के संबंध में पता लिखाने के बारे में जानबुझकर कोई कथन नहीं किया गया है इसलिये आवेदन निरस्त किया जावे।

9— प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा अपने आवेदनपत्र के समर्थनकारी साक्षीगण के शपथपत्र या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। उभयपक्ष की ओर से दावे में प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित होता है कि विवादित भूमि ख०न०-44 प्रतिवादीगण के नाम राजस्व अभिलेख में स्वत्व एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। तत्संबंधी स्वयं वादी की ओर से ही प्रस्तुत सीमांकन दस्तावेजों से भूमि ख०न०-44 के 0.500 हे० पर वादी का अवैधानिक कब्जा पाया जाना दर्शाया गया है तथा यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि केवल वैध स्वत्व एवं आधिपत्यधारी का ही आधिपत्य को संरक्षित किया जा सकता है।

10— तत्संबंधी वादी का वादग्रस्त भूमि पर वैध आधिपत्य हो ऐसा प्रथम दृष्टया वादी की ओर से प्रकट नहीं किया गया है, जिसके दावे में दर्शित अभिवचनों अनुसार बंटवारे के संबंध में प्रथम दृष्टया आवेदन में कोई उल्लेख नहीं भी नहीं है और यदि दावे में वर्णित परिस्थिति अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि के आधे-आधे भाग का बंटवारा किया गया था तो तत्संबंधी नामांतरण नहीं कराये जाने के संबंध में कोई अभिवचन अभिलेख पर विद्यमान होना प्रथम दृष्टया आवेदनपत्र से दर्शित नहीं होता है।

11— आवेदन एवं तर्क के दौरान वादी की ओर से प्रकट किया गया है कि वादी के पूर्वजों को बंटवारे में वादग्रस्त भूमि प्राप्त हुयी और वादी ने बंटवारे में स्वत्व एवं आधिपत्यधारी होने की वांछा की है परंतु इसका कोई लाभ भी वादी को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि मूलतः प्रस्तुत दावा बंटवारे के आधार पर स्वत्व प्राप्ति हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था अपितु प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्वधारी होने की घोषणा बाबत् प्रस्तुत किया गया था और दिनांक 17.08.17 को बंटवारे के आधार पर स्वामित्व बाबत् अभिवचन समाविष्ट किया जाना दर्शित होता है।

12— साथ ही पूर्व में दिनांक 15.11.16 को वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित किया गया था, जिसके उपरांत 6 माह की अवधि में साक्ष्य प्रस्तुत कर दावे में तत्परता भी वादी की ओर से नहीं किया जाना भी अभिलेख से दर्शित होता है। प्रकरण में स्वयं वादी द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा के

आदेश दिनांक 01.09.17 के विरुद्ध अपील की जाना प्रकट किया है जिसके आलोक में दिनांक 26.10.17 से दिनांक 04.12.17 तक मूल अभिलेख माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष होना, जिसमें भी तत्परता पूर्वक वादी द्वारा कार्यवाही की जाना प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता है।

13— इसके अतिरिक्त वर्तमान में वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि का किस प्रकार से उपयोग उपभोग किया जा रहा है इसके संबंध में भी आवेदनपत्र में कोई उल्लेख किया जाना दर्शित नहीं होता है जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त भूमि पर उनका आधिपत्य होना और वादी द्वारा स्वयं जमीन छोड़कर बताया गया है, जिसका खण्डन भी तर्क के दौरान या अन्य कोई समर्थनकारी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर वादी की ओर से किया जाना अभिलेख से दर्शित नहीं होता है।

14— साथ ही वादी के द्वारा प्रकरण में तत्परतापूर्वक कार्यवाही भी कराया जाना दर्शित नहीं होता है और जिन आधारों का इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.09.17 में उल्लेख किया जाकर आवेदन पत्र खारिज किया गया है, जिसकी अपील भी लंबित होना वादी द्वारा प्रकट किया गया है और उक्त अपील के निराकरण के पूर्व ही उन्हीं आधारों अर्थात् राजस्व निरीक्षक की सीमांकन रिपोर्ट पर से ही प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित होता है। वादी द्वारा यह भी प्रकट किया गया है कि प्रतिवादीगण भूमि विक्रय ना करे व अन्तरण ना करे परंतु इसका कोई लाभ वादी को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि सर्वप्रथम वादी पर यह दायित्व है कि वह प्रथम दृष्टया यह दर्शित करे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि को विक्रय और अन्य को अन्तरित करने हेतु प्रयासरत है एवं वादी का न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से आना भी प्रथम दृष्टया दर्शित नहीं होता है क्योंकि पूर्व में शीघ्र सुरवाई के आवेदन सहित दिनांक 18.12.17 को इसी आशय के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर निर्माण करने के लिये सामग्री डाल रहे हैं जबकि यह आवेदन पत्र उससे सर्वथा भिन्न अभिवचनों पर प्रस्तुत किया गया है।

15— इसके अतिरिक्त प्रतिवादीगण भूमि को विक्रय व अन्तरित करना चाहते हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा किसी से चर्चा की गयी हो इस बाबत प्रथम दृष्टया कोई स्वतंत्र साक्ष्य साक्ष्य में पेश नहीं की गयी है। साथ ही प्रतिवादीगण दिनांक 22.12.17 को पंजीयन कार्यालय आये हो इसके संबंध में भी

कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य या परिस्थिति एकत्रित कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना भी वादी की ओर से दर्शित नहीं होता है और जैसा प्रतिवादी ने पंजीयन हेतु बैतूल जिले में ऑनलाईन सिस्टम करने से स्लाट रिजर्व किये जाने का अभिवचन किया है कि तत्संबंधी भी वादी की ओर से कोई जानकारी एकत्रित कर प्रस्तुत किये जाने का प्रयास किया जाना दर्शित नहीं होता है और केवल मौखिक अभिवचन के आधार पर ही शंका मात्र से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के सिद्धांत वादी के पक्ष में ना होने से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किया जाता है।

16— प्रस्तुत आवेदन पत्र के व्यय का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जायेगा।

दिनांक:-23.12.17 मेरे उद्बोधन पर टंकित किया ।
स्थान :- बैतूल।

यशवंत मालवीय
तृ०व्यव० न्यायाधीश वर्ग-1
बैतूल

यशवंत मालवीय
तृ०व्यव० न्यायाधीश वर्ग-1
बैतूल